भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
पाक्षिक समाचार

सम्पर्क

आज़ादी का अमृत महोत्सव

खण्ड–XXVII अंक–23 15 दिसम्बर, 2022

जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि।
बंदउँ सब के पद कमल सदा जोरि जुग पानि।।

जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वन्दना करता हूँ। **श्रीरामचरितमानस (बालकाण्ड)/7 (ख))**

स्वागत

- स्थापना अनुभाग–I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/100452 दिनांक 05.12.2022 के अनुसार **प्रो. राजर्षि दासगुप्ता** ने 30.11.2022 से संस्थान के स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में सातवें वेतन आयोग के लेवल–12 में सहायक प्रोफेसर ग्रेड–I के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

  प्रो. राजर्षि दासगुप्ता को उनकी नियुक्ति से तीन वर्ष की अवधि अथवा वेतन लेवल 13ए1 प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो, के लिए) संस्थान द्वारा प्रायोजित ''युवा संकाय प्रोत्साहन फेलोशिप'' भी प्रदान की गई है।

- स्थापना अनुभाग–I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/2022/99373 दिनांक 05.12.2022 के अनुसार **प्रो. प्रशांत पालकर** ने 01.12.2022 से संस्थान के यांत्रिक इंजीनियरी विभाग में सातवें वेतन आयोग के लेवल–11 में सहायक प्रोफेसर ग्रेड–II के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

  प्रो. प्रशांत पालकर को उनकी नियुक्ति से तीन वर्ष की अवधि अथवा वेतन लेवल 13ए1 प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो, के लिए) संस्थान द्वारा प्रायोजित ''युवा संकाय प्रोत्साहन फेलोशिप'' भी प्रदान की गई है।

- स्थापना अनुभाग–I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/U-3/2022/98395 दिनांक 29.11.2022 के अनुसार **प्रो. सौरभ तिवारी** ने 24.11.2022 से संस्थान के डिजाइन विभाग में सातवें वेतन आयोग के लेवल–11 में सहायक प्रोफेसर ग्रेड–II के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

  प्रो. सौरभ तिवारी को उनकी नियुक्ति से तीन वर्ष की अवधि अथवा वेतन लेवल 13ए1 प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो, के लिए) संस्थान द्वारा प्रायोजित ''युवा संकाय प्रोत्साहन फेलोशिप'' भी प्रदान की गई है।

- स्थापना अनुभाग–I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/U-3/2022/98849 दिनांक 30.11.2022 के अनुसार **श्री सुदीप नारायण बनर्जी** ने 17.11.2022 से संस्थान के कंप्यूटर सेवा केन्द्र में सातवें वेतन आयोग के लेवल–10 में सिस्टम आर्किटेक्ट के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

- स्थापना अनुभाग–II से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/Estt.-II/2022/101868 दिनांक 9.12.2022 के अनुसार **श्री राजीब कुमार दास** ने 1.12.2022 से संस्थान के सेन्स (SeNSE) केन्द्र में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के रूप में सातवें वेतन आयोग के लेवल–5 मे कार्यभार ग्रहण किया है।

त्यागपत्र स्वीकृत

- स्थापना अनुभाग–I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IES1/2022/99943 दिनांक 7.12.2022 के अनुसार **डॉ. (सुश्री) रेशमी बिस्वास,** पोस्ट डॉक्टरल फेलो (गणित विभाग) ने अपने पद से त्यागपत्र का अनुरोध किया था। जिसे सक्षम प्राधिकारी ने 1.1.2023 से स्वीकार कर लिया है। अतः डॉ. (सुश्री) रेशमी बिस्वास को 1.1.2023 को संस्थान कार्य से मुक्त कर दिया जाएगा।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्तियाँ

- स्थापना अनुभाग–II से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/Estt.-2/2022/101007 दिनांक 06.12.2022 के अनुसार **श्री आनन्द कुमार, हेल्पर (70084)** ने संस्थान से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोध किया था, जिसे सक्षम प्राधिकारी ने 05.12.2022 से स्वीकार कर लिया है।

राजभाषा नियम 1976 नियम 5

राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है। अतः सभी विभाग/केन्द्र/अनुभाग/प्रकोष्ठ/एकक आदि के प्रमुखों से अनुरोध है कि हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर केवल हिंदी में दें और उनका रिकॉर्ड रखें।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम/नियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन के लिए जाँच–बिंदुओं का निर्माण/सुदृढ़ीकरण।

उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय (राजभाषा विभाग), भारत सरकार द्वारा प्राप्त पत्र संख्या 13035–10/2021 रा.भा.ए. दिनांक 29 सितम्बर, 2021 को प्राप्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार – राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम संख्यांक 19) की धारा–4 के अनुसरण में गठित संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने, राजभाषा विभाग–गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने संबंधी सरकारी आदेशों/अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित **जाँच–बिंदुओं** को संस्थान में सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। आप सभी प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध है कि इन जाँच–बिन्दुओं की संबंधित अनुभागों में अनुपालना सुनिश्चित करें।

क्र. सं.	विषय	जाँच बिन्दु/अनुपालना
1.	**सामान्य आदेश तथा अन्य कागजात अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी करनाः–** राजभाषा अधिनियम 1993 (यथा संशोधित, 1967) की धारा 3 (3) में उल्लिखित सभी दस्तावेज आदि हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किये जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी दस्तावेज पर तब तक हस्ताक्षर न किए जाएं जब तक वह द्विभाषी रूप में प्रस्तुत न किया जाए। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि हिन्दी रूपांतर को अंग्रेजी रूपांतर से पहले/ऊपर रखा गया है। **धारा 3 (3) से संबंधित दस्तावेज निम्नलिखित हैंः–** सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञप्ति/टिप्पणियाँ, संविदाएं, करार, लाइसेंस, परमिट, टेंडर के फार्म और नोटिस [i क्रय/विक्रय संबंधी, ii सिविल/अन्य कार्य संबंधी] संकल्प, नियम, संसद के सदन या दोनों सदनों में प्रस्तुत सरकारी कागज–पत्र (रिपोर्टो के अलावा) संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट, प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट जो अपने से उच्चतर कार्यालयों को भेजना।	हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी
2.	**हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में देनाः–** पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987) की अपेक्षानुसार हिंदी में प्राप्त पत्र अथवा हिंदी में हस्ताक्षर किए गए आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना सुनिश्चित करें।	हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी
3.	**'क' तथा 'ख' क्षेत्र की राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्र आदिः–** प्रेषण अनुभाग जाँच बिंदु होगा जो सरकारी आदेशों के अनुपालन में ''क'' तथा ''ख'' क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्रों आदि को प्रेषण के लिए तभी स्वीकार करेगा जब वे हिंदी में होंगे या उनका हिंदी अनुवाद उनके साथ संलग्न होगा।	प्रेषण अनुभाग एवं अन्य सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी
4.	**रजिस्टरों के शीर्षक द्विभाषी रूप में लिखनाः–** कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले सभी रजिस्टरों के शीर्षक द्विभाषी रूप में अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखे जाएंगे जिनमें हिंदी रूपान्तरण को नियमानुसार अंग्रेजी रूपांतर के ऊपर/पहले रखा जाएगा।	सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी
5.	**लिफाफों पर पते हिंदी में लिखनाः–** प्रेषण अनुभाग जाँच बिंदु होगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि ''क'' तथा ''ख'' क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते नियमानुसार देवानागरी लिपि में लिखे जाएं।	प्रेषण अनुभाग एवं अन्य सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी
6.	**फाइल कवरों पर विषय द्विभाषी रूप में लिखनाः–** कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली सभी फाइलों के कवरों पर विषय नियमानुसार द्विभाषी रूप में लिखे जाएंगे जिनमें हिंदी रूपान्तर को अंग्रेजी रूपांतर के ऊपर/पहले रखा जाएगा।	सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी
7.	**यूनिकोड समर्थित सॉफ्टवेयर युक्त कंप्यूटरों की खरीदः–** यह भी हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन कंप्यूटरों में यूनिकोड सॉफ्टवेयर नहीं है, उनके लिए इसे किसी निजी फर्म से न खरीदा जाए, वरन राजभाषा विभाग की वेबसाइट	सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी

	www.rajbhasha.nic.in अथवा bhashaindia.com से निःशुल्क डाउनलोड किया जाए। शंका के समाधान अथवा अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राजभाषा विभाग, चतुर्थ तल, बी विंग, एनडीसीसी–II बिल्डिंग, जयसिंह रोग, नई दिल्ली–110001 से संपर्क किया जाए।	
8.	**फार्मों, कोडों, मैअनुल, प्रक्रिया साहित्य और सरकारी राजपत्र की सामग्री का द्विभाषी प्रकाशनः–** सरकारी आदेशों के अनुपालन में भारत के राजपत्र में छपने वाली अधिसूचनाएं, नियम, संकल्प एवं कोड, मैअनुल, फार्म तथा प्रक्रिया साहित्य आदि हर हाल में हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराए जाएं। इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाय कि जो सामग्री दोनों भाषाओं में नहीं भेजी जाती उसे मुद्रण निदेशालय/सरकारी प्रेस संबंधित विभाग को वापस कर देता है। गैर–सरकारी प्रेसों में छपाई जाने वाली सामग्री के संबंध में भी इसी तरह के जाँच बिंदु स्थापित किया जाएं।	सभी संबंधित प्रशासनिक
9.	**रबड़ की मोहरें, नाम पट्ट, सूचना पट्ट आदि द्विभाषी रूप में बनानाः–** रबड़ की मोहरे, नाम पट्ट, सूचना पट्ट आदि बनवाने वाले अनुभाग के प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 में उल्लिखित उक्त सामग्री हिंदी और अंग्रेजी–द्विभाषी रूप में (और यथावश्यक क्षेत्रीय भाषा में भी) तैयार करना सुनिश्चित करे।	सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी
10.	**सेवा पंजिकाओं (Service Books) में प्रविष्टियां हिंदी में करनाः–** जिस अनुभाग में कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में प्रविष्टियां करने का काम होता है, उसका प्रभारी अधिकारी, सेवा पंजिकाओं में प्रविष्टि या हस्ताक्षर करते समय, ''क'' तथा ''ख'' क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में ही किया जाना सुनिश्चित करेगा। इस प्रकार की प्रविष्टियां ''ग'' क्षेत्र में भी यथा सम्भव हिंदी में की जाएंगी।	स्थापना अनुभाग
11.	**विज्ञापनों का द्विभाषी प्रकाशनः–** समाचार पत्रों आदि में दिए जाने वाले विज्ञापनों को जारी करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 30.6.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20012/01/2017–रा.भा. (नीति) में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसरण में सभी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषा के साथ–साथ हिंदी भाषा में भी अनिवार्यतः छपवाएं जाएं।	सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी
12.	**वेबसाइट का द्विभाषीकरणः–** वेबसाइट का काम देखने वाला अधिकारी/अनुभाग यह सुनिश्चित करेगा कि वेबसाइट के मामले में सरकारी दिशानिर्देशों का सम्यक अनुपालन हो और वेबसाइट के निर्माण/उद्यतनीकरण करने वाली कम्पनी के साथ किए जाने वाले करार में– (i) वेबसाइट को द्विभाषी रूप में तैयार करने (ii) अग्रेंजी सामग्री अपलोड करते समय हिंदी सामग्री को भी अपलोड करने और (iii) अंग्रेजी रूपान्तरण को अद्यतन बनाते समय हिंदी रूपान्तरण को भी अद्यतन बनाने संबंधी उपबंध शामिल हों। यदि किसी कारणवश ऐसा संभव न हो तो संबंधित अधिकारी द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यालय की वेबसाइट द्विभाषी रूप में अर्थात अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में हों।	कंप्यूटर सेवा केन्द्र
13.	**नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड द्विभाषी रूप में जारी करनाः–** कार्यालय में नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड तैयार करने वाले अनुभाग/प्रभाग के प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड का हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में और यथा संभव अपनी क्षेत्रीय भाषा में तैयार करना सुनिश्चित करें।	सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी
14.	**हिन्दी पुस्तकों की खरीदः–** राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्य के अनुरूप जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़ करके कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात हिंदी ई–पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पेन–ड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर 50% व्यय किया जाना अनिवार्य है जिसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय के पुस्तकालय प्रभारी की होगी।	पुस्तकालय प्रभारी
15.	**हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी की जिम्मेदारी तय करनाः–** पत्र या प्रलेख पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि जो पत्र/परिपत्र/प्रलेख आदि राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार केवल हिंदी में या हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी/तैयार किये जाने हों, वे उसी रूप में जारी किए जाएं।	सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी

आजादी का अमृत महोत्सव

अपने रणबांकुरों से अपरिचित देश

यह अफसोस की बात है कि स्वतंत्र भारत में भी हमें लचित बरफुकन जैसे वीरों को सम्मान देने में इतने वर्ष लग गए

देश इस समय लचित बरफुकन को याद कर रहा है। उनकी 400वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बीते दिनों राजधानी दिल्ली में आयोजन भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस आयोजन में भाग लिया। असम में 1228 से 1826 तक यानी करीब 600 वर्ष तक अहोम राज्य रहा। बरफुकन इसी के राजा चक्रध्वज सिंह के सेनापति थे। उन्होंने औरंगजेब की मुगल सेना को जिस तरह परास्त किया, वह भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था। दुर्भाग्य से आजादी के 75 वर्ष बाद उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। यदि हम अहोम इतिहास का अवलोकन करें तो पाएंगे कि उसने विदेशी आक्रमणकारियों को बार बार हराया। बीच–बीच में हारने के बावजूद अंततोगत्वा उन्हीं की विजय होती थी अहोम राज्य की स्थापना सुकाफा ने 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में की थी। एडवर्ड गेट के अनुसार 1527 में मुस्लिमों ने पहली बार अहोम पर हमला किया, परंतु वे बुरी तरह हार गए। अहोम सैनिकों ने उनसे 40 घोड़े और 20 तोपें छीन ली। एक और युद्ध तैमानी में हुआ। वहां भी अहोम विजयी हुए। यहां उन्होंने मुस्लिम सेनानायक को भी मार गिराया। 1535 में अहोम और मुस्लिमों के बीच फिर युद्ध हुआ। उसमें भी मुस्लिमों के कमांडर सहित 1500 से 2500 आक्रमणकारी मारे गए।

अहोम राज्य की बागडोर 1603 से 1641 के बीच प्रताप सिंह के हाथ में थी। वह अत्यंत योग्य और महत्वाकांक्षी राजा थे। उनके शासन में कई सड़कें बनी, तालाब खोदे गए, पिछड़े इलाकों का विकास किया गया। उनके कार्यकाल में मुगलों ने पहली बार 1615 में असम पर आक्रमण किया। बंगाल के गवर्नर शेख कासिम के आदेश से सैयद हाकम एक बड़ी फौज लेकर गया था। उसमें करीब 10,000 सैनिक और घुड़सवार थे। भारी संख्या में पानी के जहाज भी थे। शुरू में मुगलों को कुछ सफलता मिली, परंतु बाद में अहोम सेना ने रात्रि के समय एकाएक हमला करके उन्हें करारी शिकस्त दी। इतिहासकारों ने लिखा है कि नरमुंडों का पहाड़ बना दिया गया था और आक्रमणकारियों के हाथी, घोड़े, तोप, नाव और गोला–बारूद अहोम सैनिकों ने अपने कब्जे में ले लिए थे।

बंगाल के मुगल सूबेदार मीर जुमला ने 1662 में असम पर आक्रमण किया। उसकी विशाल एवं सुसज्जित सेना के विरुद्ध अहोम टिक नहीं पाए। गुवाहाटी पर भी मुगलों का कब्जा हो गया। अहोम राजा जयध्वज सिंह को 1663 में एक शर्मनाक शांति प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। उसके अंतर्गत उन्हें अपनी एक पुत्री को शाही हरम में भेजना पड़ा और 20 हजार तोला सोना, तीन लाख तोला चांदी और 130 हाथी मुगलों को देने पड़े। उनके उत्तराधिकारी चक्रध्वज सिंह को हार का बहुत मलाल था। उन्होंने संकल्प लिया कि वह मुगलों से बदला लेकर रहेंगे। उन्होंने अपनी सेना का पुनर्गठन किया और लचित बरफूकन को सेनापति बनाया। बरफुकन ने गुवाहाटी को फिर से जीत लिया और उसे अपना मुख्यालय बनाकर मुगलों पर आक्रमण करने लगे। औरंगजेब को जब बरकत की विजय वर्ष का पता चला तो उसने राजा राम सिंह के नेतृत्व में फौज भेजी। फौज में 30,000 सैनिक 18,000 घुड़सवार और 15,000 तीरंदाज थे। इतनी बड़ी सेना का सामना करने के लिए अहोम तैयार नहीं थे। इसलिए कुछ समय बातचीत के जरिये मुगलों को उलझाने की कोशिश की, परंतु मुगलों ने ऐसी शर्तें रखी, जो अहोम राजा को बिल्कुल स्वीकार्य नहीं थीं। बरफुकन ने कहा कि वह एक भी इंच जमीन देने के बजाय लड़ना पसंद करेंगे, परंतु वह भी जानते थे कि खुले मैदान में मुगल सेना का सामना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने शुरू में गोरिल्ला युद्ध यानी छापामार लड़ाई लड़ी। कहीं मुगल मात खा जाते थे तो कहीं अहोम सेना को क्षति होती थी। कुछ महीनों तक इस तरह लड़ाई चलती रही। बाद में 1669 में बरफुकन ने मुगल सेना का सामना किया, परंतु इसमें उनकी हार हुई और करीब एक हजार अहोम सैनिक मारे गए। इस बीच चक्रध्वज सिंह को मृत्यु हो गई और उदयदित्व सिंह अगले अहोम राजा बने। बरफुकन ने करीब दो वर्ष का समय अहोम सेना को नए सिरे से तैयार करने में लगाया। राजा राम सिंह ने मुगल दरबार को पत्र में लिखा कि अहोम सैनिक ने नदी के दोनों किनारों पर मोर्चाबंदी कर रखी है और केवल पानी की लड़ाई ही हो सकती है। बरफुकन ने ऐसी व्यूह रचना रची कि मुगल फौज से सामना सरायघाट में हो, जहां ब्रह्मपुत्र नदी एकदम संकरी हो जाती है। दुर्भाग्य से 1671 को इस लड़ाई के समय बरफुकन बीमार पड़ गए और युद्ध क्षेत्र में नहीं जा सके। लड़ाई में मुगलों का पलड़ा भारी होने लगा। बरफुकन को सूचना दी गई कि अहोम सैनिकों के पैर उखड़ रहे हैं उनसे रुका नहीं गया। वह बीमारी की हालत में भी रण क्षेत्र में कूद गए। उन्होंने सिपाहियों में इतना जोश भर दिया कि पूरी बाजी ही पलट गई। अहोम सैनिकों ने नदी किनारे और नाव से मुगल सैनिकों पर तीव्र आक्रमण किया। बरफुकन के नेतृत्व में अहोम की ऐतिहासिक विजय हुई। मुगल एडमिरल मुनव्वर खां और करीब 4,000 मुगल सिपाही इस युद्ध में मारे गए। राजा राम सिंह ने लिखा कि उन्होंने इतने बहादुर सैनिक कहीं नहीं देखे। अहोम सैनिक हर काम में दक्ष थे। प्रत्येक सैनिक तीर और बंदूक भी चला सकता था और नाव भी खे सकता था। इस हार के बाद मुगलों ने असम पर विजय पाने का इरादा हमेशा के लिए छोड़ दिया।

सरायघाट में हुए युद्ध का भारत के इतिहास में विशेष महत्व है। अहोम राज्य ने मुगल साम्राज्य की सीमा को उत्तर–पूर्व में बढ़ने नहीं दिया। इससे असम की संस्कृति बची रही। यह अफसोस की बात है कि स्वतंत्र भारत में भी हमें लचित बरफुकन जैसे वीरों को सम्मान देने में इतने वर्ष लग गए। सच तो यह है कि देश के विभिन्न भागों में अभी और बहुत से वीर ऐसे हैं, जिन्हें इतिहास में उचित स्थान नहीं मिला है। उनके बारे में अधिकांश देशवासी अनभिज्ञ हैं, जैसे कि जोरावर सिंह, जो अपनी सेना लेकर तिब्बत तक चले गए थे या हरि सिंह नलवा, जिन्होने अपना दबदबा अफगानिस्तान में भी कायम कर लिया था। आखिर ऐसे वीरों के बारे में कितने भारतीय जानते हैं।

–साभार, दैनिक जागरण
दिनांक 29.11.2022

हिन्दी कक्ष द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित दूरभाषः EPABX 7144

मुद्रकः सागर प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, नई दिल्ली। ई–मेलः sagarprinters@gmail.com